क्रम-संख्या--613

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1--खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 18 सितम्बर, 1978

भाद्रपद 27, 1900 शक् सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2518/सत्रह-वि0-1--81-1978

लखनऊ, 18 सितम्बर, 1978

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 16 सितम्बर, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1978]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 15 जुलाई, 1978 को प्रवर्तन में आया समझा जायगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या 11, सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में, शब्द "अट्ठारह माह" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त थे।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त प्रशासक द्वारा, उक्त अधिनियम, या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही केवल इसी कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि प्रशासक उक्त धारा की उपधारा (6) में, जैसी कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधन के पूर्व थी, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन करने की व्यवस्था करने में विफल रहा।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 2518(2)/XVII-V-1—81-1978

Dated Lucknow, September 18, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 26 of 1978), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 16, 1978:

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 1978

[U. P. Act no. 26 of 1978]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965

It is hereby enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1978.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 15, 1978.

Amendment of section 29 of U. P. Act no. 11 of 1966

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (6), *for* the words "eighteen months" the words "two years" shall be substituted, and be deemed always to have been *substituted*.

Repeal and savings.

3. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1978, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

(3) Nothing done and no action taken under the principal Act or the rule or bye-laws made thereunder before the commencement of this Act by the Administrator appointed under sub-section (4) of section 29 of the said Act shall be invalid merely by reason of his having failed to arrange for the reconstitution of the Committee of Management within the period specified in sub-section (6) of that section as it stood before its amendment by this Act.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 244 सा० (विवा०)—18-9-78—(2141)—1978—650 (मे०)।